न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

महावीर खराड़ी आर0ए0एस0

अपील सं0 62/2015

1. श्रीमती पेमा पत्नी धन्नाराम जाति जाट निवासी गांव लालासर बणीरोतान तहसील जिला चूरू ।
2. शिशपाल पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी गांव लालासर बणीरोतान तहसील जिला चूरू ।
3. सुगनी पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी गांव लालासर बणीरोतान तहसील जिला चूरू ।
4. इन्द्रा पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी गांव लालासर बणीरोतान तहसील जिला चूरू ।
5. तारा पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी गांव लालासर बणीरोतान तहसील जिला चूरू ।
6. सरोज पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी गांव लालासर बणीरोतान तहसील जिला चूरू ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चूरू जिला चूरू ।
2. भारत गणराज्य जरिये जिला कलैक्टर महोदय चूरू ।

रेस्पोडेण्टस

उपस्थितः– 1. श्री भीमनाथ सिद्व अधिवक्ता अपीलांट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू जिला चूरू के निर्णय व डिक्री दिनांक 30[illegible]20[illegible] के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

<u>निर्णय</u> दिनांकः—17.03.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी चूरू जिला चूरू के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2015 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 20 रकबा 18.10 बीघा रोही गांव लालासर बणीरोतान में जिला चूरू में स्थित है ।

2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुऐ अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट के पूर्वज धन्नाराम पुत्र कुम्भाराम उर्फ दुलाराम जाति जाट निवासी गांव लालासर बणीरोतान तहसील व जिला चूरू के कब्जा काश्त में एक कृषि भूमि साबिका ख0न0 20 रकबा 18.10 बीघा रोही ग्राम लालासर बणीरोतान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आया उससे पहले ही चली आ रही थी । यह भूमि पूर्व में मंगला वल्द मंगतु जाति ढाढी मुस्लमान के नाम से थी और वादीगण के पूर्वज धन्नाराम इस भूमि को बतौर उपकृषक काश्त करते थे जब भारत देश का विभाजन हुआ तब मंगला वल्द मंगतु ढाढी पाकिस्तान चला गया और वादगत कृषि भूमि तत्कालिन कस्टोडियन विभाग में बतौर राष्ट्रपति सम्पति भारत सरकार की खातेदारी में दर्ज होकर अपीलांट के पूर्वज धन्नाराम का नाम बतौर काश्तकार नाम अंकित कर दिया गया । वादगत कृषि भूमि साबिक ख0न0 20 रकबा 18.10 बीघा का हाल बंदोबस्त विभाग सम्मत 2028 में ख0न0 9 कायम किये गये है जिसको अपीलांटस के पूर्वज बतौर उपकृषक काश्त करते रहे व कब्जा भी उनका ही रहा और उनके स्वर्गवास के पश्चात यह भूमि विरासतन इंतकाल सं0 216 दिनांक 23.01.2007 द्वारा विरासतन के रूप में अपोलांटस के नाम से दर्ज एवम अंकित हो चूकी है और इस समय बदस्तुर कब्जा अपीलांट का है । राज्य सरकार के नियमों के अनुसार जो कृषि भूमि बतौर कस्टोडियन सम्पति के रेकार्ड में दर्ज की गयी और उसके काश्तकार राजस्व रेकार्ड के अनुसार अन्य लोग दर्ज एंव अंकित चले आ रहे थे उनसे मुतासिब राशि ली जाकर उस भूमि की खातेदारी के अधिकार उन व्यक्तियों को देने चाहिये थे । उक्त नियमों की पालना में अपीलांटस के पूर्वज धन्ना ने जरिये चालान सं0 809 दिनांक 23.01.1977 को राशि 650.40 रूपये रेस्पो0 सं0 1 के आदेशानुसार निष्क्रांत संम्पति की वसूली मानकर जरिये चालान संबंधित बैंक में जमा करवा दी गयी थी, उसके बाद रेस्पो0 सं0 1 का यह दायित्व था कि इस वादगत भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अपीलांट के पूर्वज धन्नाराम के नाम से दर्ज एवं अंकित की जानी चाहिये थी परन्तु रेस्पो0 स0 1 एवं उ[illegible]त कार्मिकों द्वारा मुनासिफ राशि जमा करवाने के बावजुद [illegible] अधिकार अपीलांट के पूर्वज धन्नाराम को गलती व लापरवाही के कारण दर्ज नही किये गये परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस／[illegible] के कथनों को मानते हुऐ कानून व नियमों पर सही ढंग से गार नही कर दावा खारिज करने मे [illegible]कानूनी गलती की है । अपीलांटस के द्वारा अपने दावा के संमर्थन में शूरू से लेकर राजस्व रेकार्ड नकल जमाबंदी, नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

खसरा गिरदावरीयां, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल चालान राशि जमा की रसीद एवम मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र पेश हुऐ है और अपीलांटस ने अपने दावे के तथ्यो की भलीभांती पूष्टि की है । वादगत भूमि पर अपीलांटस का लम्बे समय से कब्जा अधिनस्थ न्यायालय ने माना है परन्तु गलत तरिके से कानून व नियमों के विपरित यह कहकर दावा ड्रोप कर दिया कि तहसीलदार के समक्ष दिनांक 13.01.1977 को चालान से राशि जमा करवाने के बाद आज तक कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है और वादीगण को वाद हेतुक कब प्राप्त हुआ यह भी स्पष्ट नही है बल्कि सिधे ही दावा पेश कर दिया यह कथन अधिनस्थ न्यायालय में कानून व नियमों की अनभिज्ञयता प्रकट करता है । जबकि अपीलांट ने वाद कारण का उल्लेख दावा की मद सं0 8 में स्पष्ट रूप से कर रखा है की किसी काश्तकार को कानून व नियमों के अन्तर्गत जो अधिकार प्राप्त हो चुके है और उसकी घोषणा करने के लिये अधिनस्थ न्यायालय सक्षम है उसके बावजूद यह लिखना की सिधे ही इस न्यायालय में दावा पेश कर दिया जो उचित प्रतित नही होता है । इसलिये दावा इसी स्टेज पर ड्रोप किया जाता है जबकि प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में वादीगण के कथन को स्वीकार किया है और वादगत कृषि भूमि में कोई सरकारी हित नही होना जाहिर किया है इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त साक्ष्यों एवम सबुतो को नजरअंदाज करते हुऐ अपीलांट/वादी का दावा ड्रोप कर दिया जो कूननी दृष्टी से उचित नही है । इस प्रकार उपरोक्त तमाम तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खारिज योग्य है जिसे खारिज किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

3. रेस्पोडेन्टस बावजुद तामील के अनुपस्थित । इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी को राजस्थान भू– राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूआवंटन) नियम 1970 के नियम 18 में विहित प्रक्रिया अनुसार खातेदारी दिये जाने के निर्देश दिये गये है किन्तु वादी द्वारा इस तरह की कोई कार्यवाही नही की गयी और ना ही तहसीलदार के समक्ष चालान दिनांक 03.01.1977 से राशि जमा कराने के बाद आदिनांक तक आवेदन प्रस्तुत किया गया है । अतः वादी का दावा इसी स्टेज पर ड्रोप किया गया है ।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस व अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली का अवलोकन किया । निष्क्रांत कृषि भूमि के आंवटियों को खातेदारी अधिकार देने हेतु राजस्थान भूराजस्व नियम 1963 के अनुसार ऐसी सम्पतियों पर संवत 2012 से काबिज, वैध आंवटियों से भिन्न व्यक्ति जो राजस्व रेकार्ड में सम्वत 2012 से 2019 तक लगातार नाम से दर्ज थे तथा सम्वत 2019 से [illegible] भूप्रबन्ध के दौरान गैर खातेदार अंकित कर दिये गये तथा [illegible] में तदनुसार दर्ज है जिन्हे परिपत्र की शर्तानुसार खातेदारी दी जा सकती है । अपीलांट/वादी परिपत्र दिनांक 30.03.2012 की समस्त शर्तो की पालना [illegible] हुआ आ रहा है । परिपत्र दिनांक 30.03.12 के बिन्दु सं0 3 के अनुसार पक्षकर द्वारा राजकोष में नकदी चालान क्रमाक 809 दिनांक 13.01.1977 को राशि जमा करवायी जा चुकी है । राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने से पहले अपीलांट/वादी के पूर्वज कृषक काश्तकार चले आ रहे है जो आदिनांक जमाबंदी संवत 2071 से 2074 तक लगातार कब्जेदार काश्तकार प्रमाणित पाया जाने पर यह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को यह निर्देश देती है कि राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसरण में प्रकरण का भलीभांती परीक्षण कर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूआवंटन) नियम 1970 के नियम 18 में विहित प्रक्रिया अनुसार खातेदारी प्रदान करें ।

5. अतः उक्त विवेचन एवं वि"लेषण के आधार पर अपीलाट की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 30.07.2015 को अपास्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट/वादी को नियमानुसार खातेदारी दिलवाये जाने के आदेश पारित करें ।

6. निर्णय आज दिंनाक 17.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महावीर खराड़ी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:48:53 IST
Reason: SelfAttested